न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सर्वेश पुत्र श्री मलखान (मैनेजर/विक्रेता)
   मैसर्सः—श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट पटेल यात्री निवास के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री चिरंजी लाल सैनी(मालिक)
   मैसर्सः—श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट पटेल यात्री निवास के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 24.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 20.12.2023 को दोपहर 03:30 बजे मैसर्स श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट पटेल यात्री निवास के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैसर्स श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट पर विक्रेता श्री सर्वेश पुत्र श्री मलखान उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट का मैनेजर/विक्रेता होना बताया। विक्रेता श्री सर्वेश को अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट पर साफ सुथरी प्लास्टिक की कैन में लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 800 ग्राम दही लूज (Dahi Loose) खरीदा। जिसकी कीमत 50 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम दही लूज (Dahi Loose) को हिला—मिलाकर मैश कर 4 साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मलीन की 16—16 बून्दें डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक AG—4052 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर AG—4052 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर चारो

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:21:05 IST
Reason: SelfAttested

सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा स्वयं श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर को जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाया। नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

300000/-(अक्षरे तीन लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /5291/एक्ट/2023/51 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./5291/एक्ट/2023/51 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) के नमूने में Milk Fat की मात्रा केवल मात्र 2.34 प्रतिशत ही पाई गई है, जो कि निर्धारित मानको के अनुसार कम से कम 4.5 प्रतिशत तो होनी ही चाहिये थी। उक्त नमूने में Milk Fat की मात्रा निर्धारित मानको से कम पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का नमूना अमानक(Substandard) स्तर का पाया गया है। विक्रेता ने अमानक(Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा विभिन्न पशुपालको से दूध क्रय कर उसी दूध का दही बनाकर ग्राहको को विक्रय किया जाता है। विभिन्न पशुपालको से दूध खरीदने के कारण दूध की फैट में भिन्नता होने से उक्त दूध से बने दही की फैट जांच रिपोर्ट में तय मानको से कम पाये जाने के कारण जांच रिपोर्ट में यह खाद्य पदार्थ दही लूज अमानक स्तर का पाया गया है। हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई मिलावट दूध अथवा दही में नहीं की जाती है। विभिन्न पशुपालको से प्राप्त दूध की क्वालिटी अलग–अलग होने के कारण ही जांच रिपोर्ट में यह खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का पाया गया है। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./5291/एक्ट/2023/51 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) के नमूने में Milk Fat की मात्रा निर्धारित मानको से कम पाये जाने के कारण यह नमूना अमानक(Substandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का विक्रय कर एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट की धारा 51 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:21:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 24/2024 FSSA

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक(Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज (Dahi Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री सर्वेश पुत्र श्री मलखान मैसर्सः—श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट, पटेल यात्री निवास के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री चिरंजी लाल सैनी(मालिक) पर 100000/—(अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 24.04.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः— 24.04.2024

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

कमांक/FSSA/ 2024/ 127-130

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सर्वेश पुत्र श्री मलखान मैसर्सः—श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट, पटेल यात्री निवास के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री चिरंजी लाल सैनी(मालिक) मैसर्सः—श्री देव पवित्र भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट पटेल यात्री निवास के सामने, मेहन्दीपुर बालाजी, उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:21:05 IST
Reason: SelfAttested